न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 102/2019

प्रार्थी

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सुरेश गौड पुत्र जगदीश प्रसाद जी गौड, शाखा प्रबन्धक, एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नथमल पारीक पुत्र रुपचंद पारीक निवासी 59, सेनाना तालाब के पास, लोरो का बास, नालोट तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान– 341519
2. सुमित्रा देवी पत्नि रामनारायण निवासी 6, ग्राम तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान – 341519
3. सनराईज शिक्षण संस्थान नालोट जरिये सचिव रामनारायण, विद्यालय स्थित है – नालोट तहसील नावां जिला नागौर– 341519
4. रामनारायणदास पुत्र गंगादास निवासी 6, ग्राम नालोट तहसील नावां जिला नागौर
   दुसरा पता–रामनारायणदास,सर्वे नम्बर 937 447 प्लोट वाके ग्राम नालोट तहसील नावां जिला नागौर राज.
5. श्रीकिशन पुत्र भूराराम निवासी ग्राम अखासर तहसील नावां जिला नागौर, राजस्थान– 341519

आदेश दिनांकः– 12-12-2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को **13,50,000/–(अक्षरे तेरह लाख पचास हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 08.01.2015** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– सर्वे नम्बर 397 447 प्लोट वाके ग्राम नालोट तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान में स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसका नाप 2152.08 वर्गगज हैं, जो श्री रामनारायण द्वारा धारित है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में NA, दक्षिण में NA, पूर्व में NA एवं पश्चिम NA है।** जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 10.06.2019** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 9,31,638/–(अक्षरे नौ लाख इक्कतीस हजार छः सौ अडतीस रुपये मात्र) दिनांक 24.07.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 31.07.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, अखबार में नोटिस का साया करवाया गया एवं विवादित जायगा पर नोटिस चस्पा करवाया गया, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 9,31,638/–(अक्षरे नौ लाख इक्कतीस हजार छः सौ अडतीस रुपये मात्र) दिनांक 24.07.2019** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज

जिला मजिस्ट्रेट

से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण– **सर्वे नम्बर 397 447 प्लोट वाके ग्राम नालोट तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान में स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसका नाप 2152.08 वर्गगज हैं, जो श्री रामनारायण द्वारा धारित है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में NA, दक्षिण में NA, पूर्व में NA एवं पश्चिम NA है।** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **13,50,000/–(अक्षरे तेरह लाख पचास हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 08.01.2015** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः
प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– सर्वे नम्बर 397 447 प्लोट वाके ग्राम नालोट तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान में स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसका नाप 2152.08 वर्गगज हैं, जो श्री रामनारायण द्वारा धारित है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है– उत्तर में NA, दक्षिण में NA, पूर्व में NA एवं पश्चिम NA है।** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, उक्त सम्पति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 16:35:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: